हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 15

मंगलवार, 27 मार्च, 2018/6 चैत्र, 1940(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे (पूर्वाह्न) आरम्भ हुई।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय विधान सभा परिसर में कौन आ सकता है, कौन जा सकता है और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का आचरण कैसा हो, यह सब आपने डिक्लेयर कर रखा है। परन्तु उसके बावजूद इस बार पहली बार विधान सभा में यह देखने में आया है कि बाहर से जो लोग माननीय मुख्य मंत्री जी को या अन्य मंत्रिगण को मिलने आते हैं, वह यहां आकर नारेबाज़ी कर रहे हैं और विधान सभा की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। कहीं भी किसी भी देश की विधान सभाओं में या पार्लियामैंट में इस किस्म की कोई परिपाटी नहीं है। इसको रोकने की ज़रूरत है। इसके ऊपर आपने अपना फ़ैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अभी तक बताया नहीं है। यह लोकप्रिय नहीं है। हर चीज़ की एक मार्यादा होती है, नियम होते हैं जिनके तहत काम चलता है।

इस संबंध में **माननीय अध्यक्ष** ने नियम का हवाला देते हुए कहाः-

"Matter in the jurisdiction of Hon'ble Speaker. No matter relating to Vidhan Sabha Secretariat which falls under the jurisdiction of Hon'ble Speaker shall be raised in the Hon'ble House in any form". मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह विषय आ गया है और मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया है।

साथ ही **माननीय मुख्य मंत्री** ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कि विपक्ष के माननीय सदस्य क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं। इस विषय पर कम से कम इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। लोग मिलने आते हैं, पहले भी आते थे, अब भी आते हैं और आगे भी आयेंगे। लेकिन आप आखिरकार इन सारी बातों पर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। सरकार लोगों की है, लोगों को हमसे मिलना है और हमें लोगों से मिलना ही है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है और पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि कल जो लोग आए थे, न किसी के पास झंडा था और न ही कोई पार्टी का नारा लगा। मुख्य मंत्री का नारा लगा तो मुझे लगता है कि इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

इस संबंध में **माननीय संसदीय कार्य मंत्री** ने कहा कि मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह विषय विधान सभा से संबंधित है। जो परम्परा है उसके अनुसार अगर कोई बात विधान सभा से संबंधित है तो वह हाऊस में न उठाकर माननीय अध्यक्ष महोदय के चैंबर में जाकर उठाई जा सकती है।

1. <u>**प्रश्नोत्तरः**</u>

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्याः 219 व 220 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 271 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गये।

(II) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 33 से 40 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>12.20 PM</u>

2. <u>**कागज़ात सभा पटल परः**</u>

(1) **श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री** ने हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत डा0 वाई0एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, आचार्य, (संस्कृत, महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःई.डी.एन.-ए-ख(2)/32/2014 दिनांक 21.02.2018 द्वारा अधिसूचित

तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.02.2018 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968 की धारा 15(1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2016-17 (1.4.2016 से 31.3.2017 तक);

(iii) हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग अधिनियम, 2010 की धारा 13(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17; और

(iv) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2016-17 (01-04-2016 से 31-03-2017 तक)।

(3) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत हिमाचल

प्रदेश राज्य वित्तीय निगम का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2016-17;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, संयुक्त निदेशक, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(ए)3-3/2016 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01. 12.2017 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी(औद्योगिक), वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(बी)2-4/2009-। दिनांक 28.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03. 01.2018 को प्रकाशित;

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी(रसायन), वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(बी)15-3/2010 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.12.2017 को प्रकाशित;

(vi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, तहसीलदार, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(ए)3-2/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.11.2017 को प्रकाशित;

(vii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(ए)3-2/2016 दिनांक 30.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.03.2018 को प्रकाशित;

(viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, प्रोग्रामर, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(ए)3-1/2016 दिनांक 04.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11. 07.2017 को प्रकाशित;

(ix) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, अधीक्षक, ग्रेड-1, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(ए)3-4/2017 दिनांक 30.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.03.2018 को प्रकाशित; और

(x) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःश्रम(ए)2-1/2013-भाग-II बी.ओ.सी.डब्ल्यू. दिनांक 19.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.02.2018 को प्रकाशित।

(4) **डॉ0 राजीव सैज़ल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री** ने बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अन्तर्गत बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदनः</u>

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2017-18)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **अष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 124वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 138वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मत्स्य विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **दशम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 191वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति के **61वें मूल प्रतिवेदन** (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 36वां कार्रवाई प्रतिवेदन (सप्तम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार

द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित है;

(v) समिति के **154वें मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 56वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है;

(vi) समिति के **12वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 61वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है;

(vii) समिति के **33वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 70वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है; और

(viii) समिति के **272वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 90वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18)** ने समिति का **द्वितीय मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के

प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 (वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या 3:1 व 3:2 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

12.25 PM

4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानः

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदानः

मांग संख्याः 13 (सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 13 , सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः 25,30,55,93,000/- और 5,59,74,27,000/-रूपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्याः 13 पर सर्वश्री मुकेश अग्निहोत्री, अनिरूद्ध सिंह, श्रीमती आशा कुमारी, सर्वश्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, राम लाल ठाकुर, राजेन्द्र राणा, नन्द लाल, डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, राकेश सिंघा, पवन कुमार काजल, विक्रमादित्य सिंह, आशीष बुटेल और श्री सतपाल सिंह रायजादा की ओर से 7 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री

2. श्रीमती आशा कुमारी
3. श्री अनिरूद्ध सिंह
4. श्री हर्षवर्धन चौहान

(सदन की बैठक अपराह्न 1.00 बजे दोपहर के भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)।

(सदन की बैठक भोजनावकाश के पश्चात् अपराह्न 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)।

5. श्री जगत सिंह नेगी
6. श्री राम लाल ठाकुर
7. श्री राजेन्द्र राणा
8. श्री नन्द लाल
9. डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल
10. श्री राकेश सिंघा
11. श्री पवन कुमार काजल
12. श्री विक्रमादित्य सिंह
13. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
14. श्री आशीष बुटेल
15. श्री सतपाल सिंह रायजादा

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव वापिस हुए।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

सदन की बैठक सायं 4.45 बजे बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई।